

29/5/26

पत्रां पेश हुई। वही वकील उपर। वही वकील  
 की एकतरफा बहस सुनी गई। अपार्षीगण  
 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी  
 है। बहस पर भ्रमन किया गया एवं पत्रावली  
 में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया  
 है पाया गया कि दावा के मेर को सुरक्षित  
 रखने के लिए हवा के निस्तारण तथा  
 विवादित आराजीयात पर अपार्षीगण की  
 अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित  
 प्रतीत होगा है।

अतः हवा के निस्तारण तथा  
 अपार्षीगण की विवादित आराजी पर अस्थायी  
 निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर जारी शुदा  
 स्थगन आदेश दिनांक 23/07/2024 की  
 ताफिसला कन्फर्म किया जाता है। पत्रां  
 फेसल शुमार लेकर नम्बर से कम ही  
 जाकर दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 29/5/26  
 ...  
 29/5/26